न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/90/2017

उनवान

1. जमाल खॉ पुत्री लाल खॉ मेव मुसलमान निवासी कलुन्दिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. काना पुत्र गोकल चमार निवासी कलुन्दिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. सुखा पुत्र रामा चमार निवासी कलुन्दिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ,हमीरगढ जिला भीलवडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 108/2009 निर्णय एवं डिक्र दिनांक 24.6.2016

अभिभाषक : 1. श्री एम एल सेन , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कैलाष चन्द्र सोमानीप्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2

आदेश

दिनांक 29.8.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/ वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जेकाष्त एवं स्वामित्व की कृषि आराजियात मौजा कलुन्दिया पटवार हल्का पीपली तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 636 मीन में से 1 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1230/636 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 1312/636 रकबा 1 बीघा, एवं 1230/636/1 रकबा 2 बिस्वा कुआ स्थित है। उक्त आराजियात पर वादी का गत 35–40 वर्षो से कब्जाकाष्त चला आ रहा है। उक्त भूमि को उपजाउ बनाने के लिए वादी ने काफी श्रम व पूंजी विनियोजित की है। वादी ने आराजी नम्बर 636 मीन में ट्यूबवेल भी करवा रखी है। जिसमें पानी अच्छा होने से वादी अपने कब्जेकाष्त की आराजी नम्बर 1230/636, 1312/636 की पिलाई करता है व आराजी नम्बर 1230/636/1 पर्याप्त पानी नहीं होने से ट्यूबवेल करवाई थी। जिसको 35–40 वर्ष हो चुके हैं। किन्तु हाल ही राजस्व

रेकार्ड में नक्षे की नकलें पटवारी हल्का से प्राप्त की व जमाबंदी व रेकार्ड का मिलान किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त वर्णित कृषि आराजियात जिस पर वादी का वर्षो से कब्जाकाष्त चला आ रहा है उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 636 मीन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व आराजी नम्बर 1230/636/1 व 1236/636 व 1312/636 बिलानाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 काना आत्मज गोकल चमार के नाम पर अंकित है। जबकि आराजी नम्बर 1230/636/1 व 1312/636 व 1230/636 पर काना आत्मज गोकल चमार का कभी कब्जाकाष्त नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में ही कब्जा है। काना आत्मज गोकल चमार का कब्जा कालीरडिया जाने के रास्ते के सहारे स्थित भूमि पर है। जिस पर काना आत्मज गोकल चमार का कब्जा है तथा उसने मौके पर कुआ खुदवाकर विद्युत कनेक्षन ले रखा है व जमीन को काष्त कर रहा है। पटवारी हल्का द्वारा नक्षे में व रेकार्ड में गलत फिटिंग करने से उक्त त्रुटि हुई है। अतः वादी का उक्त भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय से प्रतिकूल कब्जा होने से भी वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 30.4.2009 को निवेदन किया तो प्रतिवादी टालमटोल करतारहा एवं दिनांक 15.5. 2009 को बिल्कुल ही इंकार हो गया व उसके नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण वह वादी को बेदखल करने पर आमादा है एवं अन्य को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार काष्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को उसे आवंटित भूमि पर कब्जा वादी को दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार हमीरगढ को आदेषित किया कि ग्राम कलुन्दिया स्थित आराजी नम्बर 636/2 रकबा 1 बीघा का वादी को एवं प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1230/636 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा का कब्जा दिया जाकर राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावे। जिससे व्यथित होकर वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2016 की पालना हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति को तहसीलदार हमीरगढ का पालनार्थ भेजी गई जिसमे तहसीलदार द्वारा असमर्थता जाहिर की गई। तब जाकर पुनः अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। इसकारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः विलम्ब की अवधि को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी/वादी ने वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि ग्राम कलुन्दिया की आराजी नम्बर 636 मीन में से 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1230/636 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 1312/636 रकबा 1 बीघा आराजी नम्बर 1230/636/1 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अपीलार्थी/वादी का वर्षो से कब्जाकाष्त चला आ रहा है। उक्त भूमि का मूल नम्बर 636 ही था जिसका बटा नम्बर डाला गया । जिसमें मूल नम्बर 636 मीन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलार्थी/वादी के नाम पर आवंटन के जरिये बिलानाम होने से आवंटन होकर खाते में दर्ज हो चुकी है। शेष आराजीनम्बर 1230/636 व 1312/636 व 1230/636 भी पहले ही बिलानाम थी परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 को जो भूमि आवंटन हुई, उस प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा किन्तु नक्षे में उक्त भूमि गलत रूप से फिडिंग व तरमीम कर दी जिसकी वजह से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को जो भूमि आवंटन हुई उस पर मौके पर कब्जा प्रतिवादी का ही है परन्तु रेकार्ड में अन्य जगहदर्ज है इसलिए रेकार्ड में दुरूस्ती की जाकर नक्षे में तरमीम हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र तो स्वीकार कर लिया परन्तु वादी को उक्त भूमि का खातेदार

काष्तकार घोषित नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा दिलाने व नक्षे में तरमीम दुरूस्ती का आदेष प्रदान कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वरा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाकर वादी को खातेदार काष्तकार घोषित करने का आदेष पारित करना था जो नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाया जाकर अपीलार्थी/वादी को खातेदार काष्तकार घोषित किया जावे । उक्त आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई परन्तु सम्पूर्ण भूमि के बारे में तहकीकात नहीं की गई है। बिना मौके की स्थिति की रिपोर्ट के अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

6. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी को आवंटित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को आवंटित आराजी उसके नाम पर एवं प्रत्यर्थी को आवंटित आराजी प्रत्यर्थी के नाम खातेदारी से दर्ज करने एवं कब्जा सुपुर्द करने का आदेष तहसीलदार को अपीलाधीन निर्णय द्वारा दिये गये है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया । चूंकि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने आराजी नम्बर 1230/636 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 1312/636 रकबा 1 बीघा आराजी नम्बर 1230/636/1 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि की खातेदारी चाही है एवं कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का पिछले 30–35 वर्षो से

कब्जाकाष्त चला आ रहा है। आराजी नम्बर 1230/636/1 व 1232/636 व 1312/636 पर काना आत्मज गोकल चमार का कभी कब्जाकाष्त नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में ही कब्जा है। काना आत्मज गोकल चमार का कब्जा कालीरडिया जाने के रास्ते के सहारे स्थित भूमि पर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार भीलवाडा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 24.6.2015 जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसका अवलोकन किया गया । उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करते समय स्वयं अपीलार्थी /वादी जमाल खॉ भी उपस्थित था। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है '' वादी ने ग्राम कलुन्दिया की आराजी नम्बर 1230/636, 1315/636, (1347/636) एवं 1230/636/1 किता 3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अपना पुराना कब्जा होना बताते हुए इसे स्वयं के नाम पर दर्ज करवाने की प्रार्थना की है । उक्त आराजी वर्तमान में खातेदार काना पिता गोकल चमार के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। '' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को आवंटित ग्राम कलुन्दिया की आराजी नम्बर 636/2 रकबा 1 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नम्बर 1230/636 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा आवंटित आराजी को आवंटन के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने एवं कब्जा दिलाये जाने एवं राजस्व रेकार्ड व नक्षे में तरमीम करने हेतु तहसीलदार हमीरगढ को निर्देषित किया है । जो विधिसम्मत है। वादी अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहा है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

9. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2016 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 29.8.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 90 / 2017

उनवान

1. जमाल खॉ पुत्री लाल खॉ मेव मुसलमान निवासी कलुन्दिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. काना पुत्र गोकल चमार निवासी कलुन्दिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. सुखा पुत्र रामा चमार निवासी कलुन्दिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ,हमीरगढ जिला भीलवडा

प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 108 / 2009 निर्णय एवं डिक्र दिनांक 24.6.2016

अभिभाषक : 1. श्री एम एल सेन , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कैलाष चन्द्र सोमानीप्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2

अपील में डिक्री

(आदेष 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 90 / 2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ** के आदेष की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 29.8.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एम एल सेन वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री कैलाष चन्द्र सोमानी एवं श्री गोपाल अजमेरा की उपस्थिति मे दिनांक 29.8.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेष दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2016 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 29.8.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील	3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस